निर्णय बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी

प्रकरण संख्या 2 / प्रा0पत्र / 2023

1. डुंगरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी हड़मतिया
2. ईश्वरसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी हड़मतिया
3. चैनसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी हड़मतिया
4. सोदानसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी हड़मतिया

प्रार्थी

बनाम

1— सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

अप्रार्थी

प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट0

उपस्थितः— प्रार्थीगण स्वयं प्रार्थी

पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनाक 23.2.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम हड़मतिया तहसील पचपहाड़ ग्राम पंचायत आंकखेड़ी की आराजी 491 / 2 सोदानसिंह भैरूसिंह एवं 491 / 3 चेनसिंह आ0 भगवानसिंह एवं 491 / 4 ईश्वरसिंह , कालूसिंह, 491 / 5 डुंगरसिंह पिता भैरूसिंह , 491 / 6 पिता भॅवरसिंह , 491 / 7 बालकुँवरबाई पत्नि विक्रमसिंह के नाम ग्राम हड़मतिया मे स्थित है। उक्त भूमि का वर्तमान ऑनलाईन नक्शे मे सेग्रीगेशन के समय सहवन से तरमीम गलत दर्ज कर दी गई है। जिसमे नया नक्शा ऑनलाईन कर हमारे खेतो को सकड़ा कर दिया है मौके पर हम सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर आज तक काबिज व मोजूद है। पुराना नक्षा सही था एवं नया आन लाईन बनाया गया है उसमे जमीन सकड़ी कर दी गई है। मौके

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

पर सब अपने क़ब्जे मे 60–65 साल से है जो खातेदारी की निजी है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बरो की भूमि को राजस्व की धारा 131 के तहत प्रकरण दर्ज कर मुताबिक मौका राजस्व नक्शे मे शुद्धि करण किए जाने के आदेश प्रदान करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पचपहाड़ से मौका रिपोर्ट तलब किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार पचपहाड़ ने उनके पत्रांक एफ(7)/रीडर/विविध/2024/113 दिनांक 22.02.2024 से मोका रिपोर्ट भिजवाई गई जो बिंदुवार निम्नप्रकार है।

1. मौका रिपोर्ट मे सेग्रीगेशन से पूर्व खसरा नम्बर 491/7 की तरमीम मूल खसरा के पूर्व दिशा से कुछ भूमि छोड़कर दर्ज की गई, जबकि मौके पर सम्बंधित खातेदार का कब्जा पूर्व दिशा मे होना अंकित किया गया।
2. सेग्रीगेशन के दोरान ऑनलाईन नक्शे मे उक्त खसरा नम्बर 491/7 की तरमीम मूल खसरा के पूर्व दिशा से कुछ भूमि छोड़कर दर्ज की गई, जबकि मौके पर सम्बंधित खातेदार का कब्जा पूर्व दिशा से ही है।
3. नक्शा लट्ठा मे हो रही पूर्व तरमीम केअनुसार प्रार्थी खातेदार को रकबा जमाबंदी रिपोर्ट अनुसार सही है।
4. मोके पर खसरा नम्बर 491/7 के खातेदार का कब्जा नक्शे लट्ठे अनुसार नही है तथा लगभग आनलाईन नक्शे मे तरमीम अनुसार है किन्तु ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम पूर्व मे भूमि छोड़कर की गई है जबकि खातेदार का कब्जा पूर्व से ही है तथा दक्षिण मे सड़क सीमा की भूमि छोड़कर है कब्जे की स्पष्ठ स्थिति सीमाज्ञान के बाद ही सम्भव है किन्तु वर्तमान मे खेतो पर फसल खड़ी होने से सीमाज्ञान नही किया जा सकता है।
5. मुताबिक ऑनलाईन नक्शा प्रार्थी खातेदारो के खसरा नम्बर भी नक्शे में अंकित नही है।

उक्त तथ्यो मे ऑनलाईन नक्शे मे भी तरमीम की अशुद्धि स्पष्ट होती है। खसरा नम्बर 491 /7 की पूर्व दिशा से ही खसरा का रकबा पूर्ण करते हुए तरमीम किया जाकर शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने साक्ष्य मे नजरी नक्शा ग्राम हड़मतिया , खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्रति, दानपत्र व प्रार्थी नं0 1 के आधार कार्ड की प्रति पेश की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किए गए।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण मे प्रार्थी स्वयं एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई प्रार्थी ने अपनी बहस के दोरान उन्ही बातो को दोहराया जिनका उल्लेख प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया। इसीप्रकार पेरोकार सरकार ने भी उन्ही बातो का उल्लेख किया गया जो तहसील पचपहाड़ से प्राप्त रिपोर्ट मे अंकित किया गया।

हमने पत्रावली एंव संलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया तथा मनन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि सेग्रीगेशन के दोरान ऑनलाईन नक्शे मे उक्त खसरा नम्बर 491/7 की तरमीम मूल खसरा के पूर्व दिशा से कुछ भूमि छोड़कर दर्ज की गई, जबकि मौके पर सम्बंधित खातेदार का कब्जा पूर्व दिशा से ही है। नक्शा लट्ठा मे हो रही पूर्व तरमीम के अनुसार प्रार्थी खातेदार को रकबा जमाबंदी रिपोर्ट अनुसार सही है। ऐसी स्थिति मे मोके पर खसरा नम्बर 491/7 की पूर्व दिशा से ही खसरा का रकबा पूर्ण करते हुए नियमानुसार शुद्ध किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

निर्णय आज दिनाक 23.02.2024 को हमारे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner